



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612986

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2688

दिनांक-27/05/2022

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2022 की बैठक दिनांक 12.05.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2022 (जोन-उत्तर) व 04/2022 (जोन-दक्षिण) की बैठक क्रमशः दिनांक 22.03.2022 व दिनांक 05.04.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन-उत्तर

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	आंगणवा	155/1, 153/5, 153/6	07.10.11 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री उकडाराम पुत्र श्री बुधाराम, श्रीमती सिरिया पत्नी श्री डूंगरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 155/1, 153/5, 153/6 रकबा 07.10.11 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 158, 158/2 की आवासीय योजना में से भूखण्ड संख्या 4, 5 व 6 में से 10 फीट भूमि समर्पण किए जाने के कारण उक्त भूखण्डों के संशोधित पट्टा विलेख जारी किए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 				

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	माणकलाव	21/1/1	06.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री मालाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 21/1/1 रकबा 06.00.00 बीघा फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क के राजस्व मानचित्र से भिन्न स्थान पर विद्यमान होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जावे। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त सड़क के मार्गाधिकार व स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त की जावे। साथ ही उक्त सड़क की लम्बाई तथा उक्त सड़क किन ग्रामों को जोड़ती है, बाबत रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 3. राजस्व मानचित्र में उक्त सड़क के खसरा संख्या व वर्तमान में डॉटेड लाईन से अंकित सड़क के संबंध में जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जावे। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>				

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	दईजर	113/9, 113/10, 113/11	05.06.06 बीघा	होटल (पर्यटन इकाई)
आवेदक	श्री दिलीप पुंगलिया पुत्र श्री रामजीवन पुंगलिया, श्री विष्णुप्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड जरिये प्रतिनिधि श्री मनोहरलाल पुंगलिया पुत्र श्री रामजीवन पुंगलिया, श्री रामजीवन पुंगलिया पुत्र श्री रणछोडदास पुंगलिया				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 113/9, 113/10, 113/11 रकबा 05.06.06 बीघा होटल (पर्यटन इकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के आस-पास बी.एस.एफ क्षेत्र है जो कि रक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। साथ ही पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध समर्पण सुदा 60 फीट सड़क मार्गाधिकार को निरंतर करते हुए मानचित्र जारी किये जाने की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में जमाबंदी/राजस्व मानचित्र से अधिक क्षेत्रफल है। अतः आवेदक से जमाबंदी/राजस्व मानचित्र अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नववि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे। 				

	<p>एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>4. आवेदित भूमि आवासीय भू-उपयोग में 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार 20 कमरों तक की होटल ही अनुज्ञेय है जिसका अंकन पट्टा विलेख एवं साईट प्लान में जोन द्वारा किया जावे।</p> <p>5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	माणकलाव	130, 130/1	21.19.00 बीघा	एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज योजना
आवेदक	श्री सुगनलाल पुत्र श्री नेनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 130, 130/1 रकबा 21.19.00 बीघा एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-मथानिया मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 200 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पट्टे जारी किए जाने से पूर्व योजना में सृजित प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग भूखण्ड के जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लिए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे। 3. ले-आउट प्लान जारी करने से पूर्व आवेदक से आवेदित खसरे की तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे। 4. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 5. आवेदित भूमि में से एक एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 6. ले-आउट प्लान में कृषि आधारित उद्योग के भूखण्डों से अन्य उपयोगों की ओर सुरक्षात्मक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम 9 मीटर सैटबैक का प्रावधान किया जावे। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	2010/583	01.05.00 बीघा	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्रीमती मनीषा पत्नी श्री राकेश गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 2010/583 रकबा 01.05.00 बीघा पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण से संबंधित विचाराधीन वाद की वर्तमान स्थिति तथा आर्डर शीट्स की प्रतिलिपी जोन स्तर पर प्राप्त करते हुए वाद के संबंध में वर्तमान स्थिति प्राप्त की जावे। 2. सम्भागीय आयुक्त महो. द्वारा पारित आदेश व सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की जावे। 3. आवेदित भूमि के सामने नाला विद्यमान है जिससे आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः इस संबंध में एन.एच.ए.आई/संबंधित विभाग से रिपोर्ट प्राप्त की जावे। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	मण्डोर-द्वितीय	652/1	01.11.06 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री उम्मेदसिंह, विकास पुत्र श्रीराम सिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 652/1 रकबा 01.11.06 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में खातेदारी भूमि है तथा राजस्व रास्ता नहीं है। अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

12

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	रामपुरा भाटीयान्	571/1	02.07.00 बीघा	शैक्षणिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष श्री सत्यनारायण पुत्र श्री पुखराज				
विषय:-	राजस्व ग्राम रामपुरा भाटीयान् के खसरा संख्या 571/1 रकबा 02.07.00 बीघा शैक्षणिक (बी.ए/बी.ए.सी डिग्री कॉलेज) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-मथानिया मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 200 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ हेतु पट्टा जारी किये जाने पर जोन स्तर से पट्टे में यह शर्त अंकित की जावें कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	दईजर	114, 115/1	07.18.12 बीघा	होटल पर्यटन इकाई
आवेदक	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गणपतलाल, श्री राजेन्द्र मंत्री पुत्र श्री हनुमानप्रसाद, श्री जितेन्द्र डागा पुत्र श्री बालकिशन				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 114, 115/1 रकबा 07.18.12 बीघा होटल पर्यटन इकाई एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के आस-पास बी.एस.एफ क्षेत्र है जो कि रक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। साथ ही पट्टवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध समर्पण सुदा 60 फीट सड़क मार्गाधिकार को निरंतर करते हुए मानचित्र जारी किये जाने की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें 				

	<p>एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>3. आवेदित भूमि आवासीय भू-उपयोग में 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार 20 कमरों तक की होटल ही अनुज्ञेय है जिसका अंकन पट्टा विलेख एवं साईट प्लान में जोन द्वारा किया जावे।</p> <p>4. प्रकरण में रेलवे विभाग द्वारा जारी अनापत्ति अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।</p> <p>5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	2117/378	01.03.18 बीघा	व्यवसायिक (वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स)
आवेदक	श्री धनराज पुत्र श्री भोजराज				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 2117/378 रकबा 01.03.18 बीघा व्यवसायिक (वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-नागौर मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर व दक्षिण दिशा में स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 40-40 फीट (मध्य से 20 फीट दोनों ओर) रखा जावे। इस बाबत राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावे। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे अन्यथा उक्त सड़कों का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावे। 2. सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

8

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	माणकलाव	153/1	22.07.00 बीघा में से 06.04:02 बीघा	कृषि आधारित उद्योग एकल
आवेदक	श्री जयसिंह गहलोत पुत्र श्री मांगीलाल गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 153/1 रकबा 22.07.00 बीघा में से 06.04.02 बीघा कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 200 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में खातेदारी भूमि है तथा राजस्व रास्ता नहीं है। अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जावें। 3. प्रकरण में सडक मार्गाधिकार में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 4. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 6. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावें। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	बासनी लाछा	124/2, 124/4	27.12.00 बीघा	कृषि आधारित उद्योग
आवेदक	श्री दीपाराम पुत्र स्वं श्री कालुराम वगैरहा				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 124/2, 124/4 रकबा 27.12.00 बीघा कृषि आधारित उद्योग योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-				

<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक व पट्टा धारक को पुनः अन्तिम स्मरण पत्र जारी कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जावे। यदि आवेदक व पट्टा धारक 10 दिवस में संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं करता है तो जोन से समन्वय स्थापित कर आयोजना शाखा स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाकर बैठक में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे। 2. प्रकरण में अपेक्षित संशोधन हेतु जोन स्तर पर आम सूचना जारी की जावे तथा नोटिस की प्रति मौका स्थल पर चस्पा की जावे। 3. प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने तक 12.5 प्रतिशत रहन भूखण्डों के संबंध में पट्टा जारी करने तथा जिन भूखण्डों के पट्टे जारी है उनमें नाम हस्तान्तरण, भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति, उपविभाजन, संयुक्तीकरण, बैचान अनुमति इत्यादि की कार्यवाही नहीं की जावे। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>

एजेण्डा संख्या 13 :- (अतिरिक्त एजेण्डा)

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	उत्तर	लोरडी पंडित जी	100, 103, 104	84.66 एकड़ भूमि में से 15 एकड़	संस्थागत एकल भूखण्ड
आवेदक	कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्यास विश्वविद्यालय जोधपुर				
विषय:-	राजस्व ग्राम लोरडी पंडित जी के खसरा संख्या 100, 103, 104 रकबा 84.66 एकड़ भूमि में से 15 एकड़ संस्थागत एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ उपविभाजन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

जोन-दक्षिण

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	जोधपुर	नया खसरा संख्या 1494/939, 1499/939 (पुराना खसरा संख्या 939/747/1/1, 939/747/3)	01.00.16 बीघा	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	मैसर्स अनिल टेक्सटाईल्स प्रो. श्री नानकराम पुत्र श्री आत्माराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के नया खसरा संख्या 1494/939, 1499/939 (पुराना खसरा संख्या 939/747/1/1, 939/747/3) रकबा 01.00.16 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में मौका अनुसार टेक्सटाईल उद्योग संचालित है तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान की डी.सी.आर अनुसार Non-Obnoxious Industries ही अनुज्ञेय है। वर्तमान में आवेदक द्वारा किस प्रकार के उद्योग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, बाबत जानकारी प्राप्त की जावे। 2. जोन स्तर से आवेदक को एन.जी.टी का नोटिस दिया जावे। 3. टेक्सटाईल इकाई किस श्रेणी में आती है, के संबंध में RPCB से जानकारी प्राप्त की जावे। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में अनुज्ञेय नहीं होने के कारण 				

①

Obnoxious श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति RPCB द्वारा जारी नहीं की जावें। उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	जोधपुर	992/740 मीन 2, 992/740 मीन 3	01.06.16 बीघा	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	मोहम्मद याकूब, मो मेहबूब पुत्रान् श्री नूर मोहम्मद				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 992/740 मीन 2, 992/740 मीन 3 रकबा 01.06.16 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में मौका अनुसार टेक्सटाईल उद्योग संचालित है तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान की डी.सी.आर अनुसार Non-Obnoxious Industries ही अनुज्ञेय है। वर्तमान में आवेदक द्वारा किस प्रकार के उद्योग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, बाबत् जानकारी प्राप्त की जावें। 2. जोन स्तर से आवेदक को एन.जी.टी का नोटिस दिया जावें। 3. टेक्सटाईल इकाई किस श्रेणी में आती है, के संबंध में RPCB से जानकारी प्राप्त की जावें। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में अनुज्ञेय नहीं होने के कारण Obnoxious श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति RPCB द्वारा जारी नहीं की जावें। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	जोधपुर	1931/1174, 1930/1774	01.06.10 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री धीरज गहलोत पुत्र श्री विशानसिंह, श्रीमती अपूर्वा गहलोत पत्नी श्री धीरज गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1931/1174, 1930/1774 रकबा 01.06.10 बीघा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय 				

	<p>में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	जोधपुर	1774/914, 1978/1930	01.06.10 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री पवन गहलोत पुत्र श्री विशनसिंह, श्रीमती निक्की गहलोत पत्नी श्री पवन गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1774/914, 1978/1930 रकबा 01.06.10 बीघा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	पाल	69/05	00.12.11 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री जालाराम पुत्र श्री रीकाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 69/05 रकबा 00.12.11 बीघा पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि हेतु प्रस्तावित उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के अनुरूप अनुज्ञेय नहीं होने तथा 50 मीटर परिधि में आवासीय मकान/टायर गोदाम संचालित होने के कारण प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	पाल	350/8	02.00.00 बीघा में से 01.13.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बालुराम पुत्र श्री नाराराम				

10

विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 350/8 रकबा 02.00.00 बीघा में से 01.13.00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन भुक्त किया जावेगा। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	पाल	191	02.09.00 बीघा	व्यवसायिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री देवानारायण पुत्र श्री राधेश्याम, श्री राधेश्याम पुत्र श्री हुक्मीचंद				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 191 रकबा 02.09.00 बीघा व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि मुख्य पाल रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट (मध्य से 20 फीट दोनों ओर) रखा जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। इस बाबत् राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावें। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें अन्यथा उक्त सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावें। 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. प्रकरण में सड़क मार्गाधिकार में किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 4. प्रार्थी से व्यवसायिक उपयोग में विशिष्टीकृत उपयोग बाबत् टिप्पणी आवेदक से प्राप्त की जावें।				

5.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	पाल	641/192/1, 642/192/ 192/2, 192/3, 192/4	09.11.08 बीघा	व्यवसायिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री राधेश्याम रंगा पुत्र श्री हुक्मीचंद, श्रीमती गायत्री पत्नी श्री राधेश्याम रंगा				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 641/192/1, 642/192/, 192/2, 192/3, 192/4 रकबा 09.11.08 बीघा व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>मिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य पाल रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(26) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. प्रकरण में सडक मार्गाधिकार में किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 4. प्रार्थी से व्यवसायिक उपयोग में विशिष्टीकृत उपयोग बाबत टिप्पणी आवेदक से प्राप्त की जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन

12.05.2022	दक्षिण	पाल	323/7, 323/9	02.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री रामप्रताप सिंह पंवार पुत्र श्री भूरसिंह व अन्य				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 323/7, 323/9 रकबा 02.00.00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएं। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाएं। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जाएं। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	घिनाणा की ढाणी	466	00.14.09 बीघा	व्यवसायिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती लूणीदेवी पत्नी श्री केवलचंद				
विषय:-	राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 466 रकबा 00.14.09 बीघा व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट व जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. सड़क मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा तक की दूरी बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जाएं। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जाएं एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाएं। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाएं अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाएं। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत 				

	<p>शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	सालावास	945/24	1330.99 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री जितेन्द्र जैन				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 945/24 रकबा 1330.99 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क का अंकन किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	सालावास	920/140	5261 वर्गमीटर में से 1634 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री कानाराम भाटी पुत्र स्व. श्री छंवरलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 920/140 रकबा 5261 वर्गमीटर में से 1634 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में मौका अनुसार टेक्सटाईल उद्योग संचालित है तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान की डी.सी.आर अनुसार Non-Obnoxious Industries ही अनुज्ञेय है। वर्तमान में आवेदक द्वारा किस प्रकार के उद्योग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, बाबत जानकारी प्राप्त की जावे। 				

<p>2. जोन स्तर से आवेदक को एन.जी.टी का नोटिस दिया जावे।</p> <p>3. टेक्सटाईल इकाई किस श्रेणी में आती है, के संबंध में RPCB से जानकारी प्राप्त की जावे। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में अनुज्ञेय नही होने के कारण Obnoxious श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति RPCB द्वारा जारी नही की जावे।</p> <p>4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	सालावास	115/11, 115/12	03.10.10 बीघा में से 3862.90 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्रीकान्त शर्मा				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 115/11, 115/12 रकबा 03.10.10 बीघा में से 3862.90 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि बोरानाडा-सालावास सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 160 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावे तथा दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. प्रकरण में सडक मार्गाधिकार में किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 6. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे। 7. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 14 व 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	सालावास	994 / 236	3643 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री शम्भुलाल पुत्र श्री नानकराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 994 / 236 रकबा 3643 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.05.2022 को बैठक में हुई चर्चा के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो अलग-अलग प्रकरणों के स्थान पर इक्जाई मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निवेदन किया गया है जिसके क्रम में जोन स्तर पर संशोधित 90/क आदेश जारी किया जावे तथा आयोजना शाखा स्तर पर संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे। 2. आवेदित भूमि को जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	सालावास	992 / 236	3318 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री शम्भुलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 992 / 236 रकबा 3318 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा 				

8

	<p>विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</p> <p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	सालावास	118/14	1619 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री कपिल बंसल पुत्र श्री किशनगोपाल अग्रवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 118/14 रकबा 1619 वर्गमीटर औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि बोरानाडा-सालावास सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 160 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 18 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	लूणावास चारणा	199	12.08.00 बीघा	एग्री वेयर हाउस
आवेदक	श्री जोगाराम पुत्र श्री बीजाराम भील				
विषय:-	राजस्व ग्राम लूणावास चारणा के खसरा संख्या 199 रकबा 12.08.00 बीघा एग्री वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा मुख्य सडक से आवेदित भूमि तक 80 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि तक 80 फीट पहुंच मार्ग की उपलब्धता होने के उपरांत आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 है० से अधिक होने के कारण सुविधा क्षेत्र हेतु 5 प्रतिशत भूमि आरक्षित करते हुए तथा जोजरी नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी एवम् तत्पश्चात् 60 फीट सडक का प्रावधान करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एजेण्डा संख्या 19 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	खारडा भाण्डू	15/2, 15/3	03.10.00 बीघा	कृषि आधारित उद्योग एकल
आवेदक	श्री चम्पालाल पुत्र श्री शंकरलाल मेघवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम खारडा भाण्डू के खसरा संख्या 15/2, 15/3 रकबा 03.10.00 बीघा कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्शनिम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि खारडा भाण्डू गांव की ओर जाने वाली सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग कॉरपोरेट पार्क में होने तथा कॉरपोरेट पार्क में डी.सी. आर अनुसार अन्य उपयोग अनुज्ञेय होने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से न्यूनतम 9 मीटर सैटबैक का प्रावधान किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 20 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	भाण्डू कलां	504/74	513 वर्गमीटर	औद्योगिक (नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज) एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती कमला पत्नी श्री जगदीश प्रजापत				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के खसरा संख्या 504/74 रकबा 513 वर्गमीटर औद्योगिक (नॉन पाल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि का मिश्रित भू-उपयोग है जिसमें भविष्य में आस-पास होने वाले विकास के दृष्टिगत आवेदित भूमि में सुरक्षात्मक दृष्टि से 9 मीटर				

सैटबैक लगाये जाने के उपरान्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 21 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	भाण्डू कला	508 / 74	9441 वर्गमीटर	औद्योगिक (नॉन पाल्युटेड हैण्ड्रीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज) एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी श्री मुरलीधर शर्मा				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाण्डू कला के खसरा संख्या 508 / 74 रकबा 9441 वर्गमीटर औद्योगिक (नॉन पाल्युटेड हैण्ड्रीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदक द्वारा जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल हेतु मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः जमाबंदी अनुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि का मिश्रित भू-उपयोग है जिसमें भविष्य में आस-पास होने वाले विकास के दृष्टिगत आवेदित भूमि में सुरक्षात्मक दृष्टि से 30 फीट सैटबैक लगाये जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में गुजर रही एच.टी लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त की जावें। साथ ही मौके पर एच.टी लाईन के सेफ्टी कोरिडोर के नीचे सड़क का निर्माण किया गया है जिसको हटाये जाने बाबत् आवेदक को सूचित किया जावें। 3. राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि व सड़क के मध्य दर्शित अन्य खसरे के स्वामित्व के संबंध में जोन स्तर पर जांच कर टिप्पणी प्राप्त की जावें। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>				

एजेण्डा संख्या 22 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	जोधपुर-दक्षिण	920 / 747	00.15.00 बीघा में से 943.75 वर्गगज	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री गोमाराम चौधरी				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 920 / 747 रकबा 00.15.00 बीघा में से 943.75 वर्गगज आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार भिन्न होने के कारण आवेदक को मास्टर प्लान अनुसार पुनः आवेदन प्रस्तुत किये जाने बाबत् सूचित किया जावें। साथ ही खसरा संख्या 920 / 747 के समस्त खातेदारों द्वारा एकजाई मानचित्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण को बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 23 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	तनावडा	47 / 17	02.00.00 बीघा	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती चुकी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश, श्रीमती कुरजादेवी पत्नी श्री सुजाराम श्री नैनीदेवी पत्नी श्री गोपाराम,				

विषय:-	राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 47/17 रकबा 02.00.00 बीघा औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदित भूमि जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार एच.टी लाईन व एच.टी लाईन के सहारे प्रस्तावित सडक से प्रभावित हो रही है जिसके कारण निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 24 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
12.05.2022	दक्षिण	भाकरासनी	82/6, 82/7	12.04.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री गणेश				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 82/6, 82/7 रकबा 12.04.00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में अपंजीकृत आम-मुख्यारनामा द्वारा पूर्व में जारी पट्टा विलेख समर्पित किये गए हैं। अतः प्रार्थी से अथवा पंजीकृत आम-मुख्यारनामा द्वारा पट्टा विलेख के समर्पण संबंधी आवेदन जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें। 2. प्रकरण में उक्त समर्पण के संबंध में जोन स्तर से आम-सूचना जारी की जावें। 3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट तथा विद्युत लाईन के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावें। 4. प्रकरण में आवेदक से पूर्व में जारी पट्टा विलेखों के रहन में नहीं रखे जाने, किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किये जाने, किसी प्रकार का अन्य कमिटमेंट नहीं किये जाने इत्यादि के संबंध में जोन स्तर पर शपथ-पत्र प्राप्त किया जावें। <p>उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>				

::- सामान्य/नीतिगत निर्णय ::-

01. 90/क का आदेश जारी किए जाने से पूर्व आवेदक से तरमीम सुदा राजस्व नक्शा/मानचित्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
02. रोड बाउण्ड्री में निर्माण हटाने के उपरान्त ही लीजडीड जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। यदि पूर्व में अनुमोदित प्रकरणों में वर्तमान पट्टा विलेख जारी किया जाना शेष है तो भी उक्तानुसार सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
03. आवेदित प्रकरणों में कनिष्ठ अभियन्ता मौके पर किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं, के संबंध में तथा सडक बाउण्ड्री में किये गए निर्माण की विस्तृत जांच कर व उपलब्ध सडक मार्गाधिकार का अंकन करते हुए मय स्केच रिपोर्ट प्रेषित करे जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर 90/क की कार्यवाही से पूर्व की जावें।
04. राजस्व अधिकारियों द्वारा ले-आउट प्लान पर आवेदित भूमि की राजस्व सीमा के सुपरइम्पोजिशन के साथ आवेदित भूमि के समीपीय चारों दिशाओं में स्थित भूमियों का खसरा संख्या, किस्म व राजकीय भूमि होने की स्थिति में राजकीय भूमि का अंकन किया जावें। उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
05. किसी भी भूखण्ड के दो तरफ सडक मार्गाधिकार होने पर नियमानुसार त्रिज्या का प्रावधान किया जावें।
06. प्राधिकरण में औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु प्राप्त एकल भूखण्डों में रीको द्वारा निर्धारित सैटबैक लगाये जाते हैं, जो कि रीको द्वारा प्रस्तावित योजना हेतु निर्धारित किये गये हैं। रीको द्वारा 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में साईड-2 सैटबैक का प्रावधान नहीं किया गया है। प्राधिकरण में एकल भूखण्डों हेतु भी आवेदन किया जाता है, जिसमें समीपीय भूमि का आकार व क्षेत्रफल निश्चित नहीं



होता है। अतः उक्त प्रकार के 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के एकल भूखण्डों के प्रकरणों में पीछे की ओर निर्धारित सैटबैक अनुसार ही साईड-2 सैटबैक का अंकन कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

07. मास्टर प्लान में अनुज्ञेय औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त भी राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों के तहत/मास्टर प्लान की डी.सी.आर में अनुज्ञेयता के तहत मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न गैर औद्योगिक भू-उपयोगों में एकल औद्योगिक इकाई की स्थापना से अन्य उपयोगों में आरक्षित भूमि से अग्निसुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ न्यूनतम 9-9 मीटर सैटबैक का प्रावधान किया जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)


जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2689-93

दिनांक:- 27/5/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2022 वीं बैठक दिनांक 12.05.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति चंचल वर्मा उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री अनिल पूनिया उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

